# न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली
## पीठासीन अधिकारीः– श्री मासिंगा राम, आर.ए.एस.

राजस्व प्रा0 पत्र संख्या :– 111/2022

| प्रार्थीया | बनाम | अप्रार्थी |
|---|---|---|
| 01. सुन्दरी देवी पत्नी पुनाराम जाति माली निवासी सोजत सिटी तह0 सोजत जिला पाली राज0 | | 01. तहसीलदार (भूमि धारक) तहसील सोजत जिला पाली राज0। |

**राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 भू–राजस्व अधिनियम, 1956**

उपस्थिति :–

01. श्री रमेश टांक अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित।
02. तहसीलदार सोजत स्वयं उपस्थित।

**–: निर्णय :–** **दिनांक :** 16/10/2025

अधिवक्ता मय प्रार्थी ने विरुद्व अप्रार्थी अन्तर्गत धारा 131 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा सोजत चक प्रथम तहसील सोजत जिला पाली के गत खसरा संख्या 423 रकबा सवा पैंतालीस बीघा चार बिस्वा की कृषि भूमि का खातेदार भक्तिराम पुत्र रामजस जाति अग्रवाल निवासी सोजत तहसील सोजत ने अपने खातेदारी कब्जा काश्त के खसरा संख्या 423 की अंशतः भूमि विभिन्न व्यक्तियों को विक्रय व हस्तान्तरित की, शेष अंशतः भूमि में से एक बीघा भूखण्ड जिसकी लम्बाई 132 फीट व चौड़ाई 132 फीट का रजिस्टर्ड बेचान दिनांक 31/10/1974 को कमलकिशोर पुत्र जवाहरलाल त्रिवेदी जाति श्रीमाली ब्राह्मण निवासी सोजतसिटी के पक्ष में किया तथा उक्त बेचान की गई एक बीघा भूमि का वास्तविक कब्जा भी खरीददार कमलकिशोर के पिता व संरक्षक जवाहरलाल पुत्र कांतिलाल त्रिवेदी को करा दिया गया। उक्त रजिस्टर्ड बेचान में बेची गई भूमि का पाड़ौस भी अंकित है। उक्त बेचान दस्तावेज के आधार पर खसरा संख्या 423 की भूमि में से एक बीघा भूमि की खातेदारी दर्ज कराने हेतु श्रीमान भू–प्रबन्धक अधिकारी जोधपुर के समक्ष आवेदन जवाहरलाल पुत्र कांतिलाल ने दिनांक 13/05/1976 को प्रस्तुत किया, जिस पर पत्रावली संख्या 145/76 कायम की जाकर आवेदन के आधार पर दिनांक 24/11/1976 को जमाबंदी में आवेदक कमलकिशोर पुत्र जवाहरलाल का नाम दर्ज करने हेतु आदेश दिये गये। गत खसरा संख्या 423 मीन के सेटलमेन्ट में नये खसरा संख्या 4412/6321 बने है, जिसका मिलान क्षेत्रफल साथ प्रस्तुत है। खातेदार कमलकिशोर पुत्र जवाहरलाल खसरा संख्या 4412/6321 रकबा 0.1600 हैक्टर का खातेदार काश्तकार दर्ज चला आ रहा था, जो सम्वत् 2062 से 2065 की जमाबंदी में अंकित है। खातेदार कमलकिशोर पुत्र जवाहरलाल की मृत्यु हो जाने से विरासत से नामान्तरणकरण संख्या 2683 दिनांक 01/04/2009 के आदेश से मृतक कमलकिशोर की जगह भारती पत्नी कमलकिशोर, मोदिनी, भोतेश पीसरान कमलकिशोर

उपखण्ड अधिकारी
सोजत (राज.)

क खसरा 4412/6321 के खातेदार काश्तकार बनें। खातेदार काश्तकार श्रीमती भारती पत्नी स्व. कमलकिशोर बहैसियत स्वयं व बहैसियत कुदरती वलिया माता अपनी नाबालिग पुत्री मोदिनी व अपने नाबालिग पुत्र भोतेश द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख प्रार्थीया सुन्दरी पत्नी पूनाराम को मौजा सोजत चक संख्या एक के रकबा 0.1600 हैक्टर का खसरा संख्या 4412/6321 बेचान दिनांक 02/04/2009 को किया। उक्त बेचान में भी बेचानकर्ता द्वारा विक्रय की गई कृषि भूमि का माप 132X132 वर्गफीट वर्गाकार में स्थित होने तथा कृषि भूमि की चारदीवारी की हुई होना अंकित किया गया है। राजस्व रेकर्ड अनुसार ही हल्का पटवारी द्वारा मोमीट्रेस नक्शा बनाना होता है, किन्तु स्लिप ऑफ पेन की वजह से मोमीट्रेस नक्शा में वर्तमान खसरा संख्या 4412/6321 जो 132X132 वर्गफीट वर्गाकार में स्थित होने के उपरान्त भी हल्का पटवारी द्वारा राजस्व नक्शे में खसरा संख्या 4412/6321 को आयताकार दर्शाते हुए दर्ज कर दिया है, जो मौके व बेचान दस्तावेज में दर्ज स्थिति से बिलकुल ही भिन्न है। मौके पर बेचान दस्तावेज में वर्णित क्षेत्रफल मुजब ही प्रार्थीया खातेदार काबिज है, किन्तु हल्का पटवारी द्वारा मोमीट्रेस नक्शे में की गई त्रुटि (एरर ऑफ रेकर्ड) है जिसे दुरूस्त किया जाना विधिनुसार आवश्यक एवं न्यायसंगत है। राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में वर्णित रकबा अनुसार भी मोमीट्रेस नक्शे से मिलान नहीं होता है। अतः प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र प्रस्तुत प्रार्थीया का प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर सरहद मौजा ग्राम सोजत चक संख्या एक के वर्तमान खसरा संख्या 4412/6321 रकबा 0.1600 हैक्टर राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में दर्ज रकबा अनुसार एवं मौका स्थिति का मिलान कर वर्तमान मोमीट्रेस नक्शें में उक्त खसरा संख्या का सही इन्द्राज किये जाने हेतु अप्रार्थी को आदेशित किया जाने की ईशतदुआ की हैं।

इस पर उक्त प्रा0 पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी जरिए नोटिसेज वास्ते जबाब प्रा0 पत्र तलब किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार सोजत ने जवाब प्रा0पत्र पेश कर पैरा सं0 01 में विवेचित कृषि भूमि सरहद मौजा सोजत चक प्रथम में स्थित होना, पैरा सं0 02 से 06 में वर्णित तथ्य प्रार्थी स्वयं साबित करना तथा पैरा सं0 07 से 10 न्यायिक प्रक्रिया होना अंकित किया।

प्रकरण में वादस्थ भूमि के मौका एवं रेकर्ड की वस्तुस्थिति तहसीलदार सोजत को लिखा जाने पर तहसीलदार सोजत द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम सोजत चक प्रथम के ख0नं0 4412/6321 रकबा 0.1600 है0 भूमि खातेदार ''सुन्दरीदेवी पत्नी पुनाराम जाति माली सा0 देह खातेदार के नाम दर्ज हैं। वर्तमान राजस्व रेकर्ड एवं मौका स्थित नजरी नक्शानुसार इस प्रकार है कि बिन्दु सं0 01 में ABCD मौका पर वादीगण का कब्जा है। AB=BC=CD=DA=40 मी0/132 फुट, बिन्दु D से खसरा नं0 4412/6316 की ओर ख0नं0 4412/6321 पर ख0नं0 4412 के संयुक्त खातेदार का

कब्जा (काबिज) नजरी नक्शानुसार ख0नं0 4412/6321 में बिन्दु ABCD रकबा 0.1600 है0 भूमि पर वादीगण का कब्जा होकर मौके पर काबिज है। बिन्दु ABCD के चारो पर पक्की चार दिवारी हैं। वादीगण से पूछताछ करने पर बताया कि उक्त भूमि जो चारदिवारी में है ABCD पर कई वर्षो से काबिज हैं। कब्जा सम्बन्धित विवाद नहीं बताया हैं। नजरी नक्शानुसार वर्तमान खसरा नं0 4412/6321 का राजस्व रेकर्ड (सेग्रीगेशन शीट) से रकबा का अंकन मिलान नहीं हो रहा हैं। राजस्व रेकर्ड में रकबा 0.1600 हैक्टेयर है, जबकि सेग्रीगेशन शीट (नक्शा) अनुसार रकबा 0.3600 हैक्टेयर (लगभग) हैं। लट्टा पार्ट (नक्शा लट्ठानुसार) मूल खसरा 4412/6321 की तरमीम इस प्रकार है कि लट्ठा पार्टानुसार ख0नं0 4412/6321 रकबा 0.1600 है0 (80×20 वर्गमीटर) हैं। सेग्रीगेशन नक्शाशीट में खसरा नं0 4412, ख0नं0 4289 किस्म गै0मु0 रास्ता से जुड़ा हुआ नहीं हैं। जबकि लट्ठा ट्रैस अनुसार जुड़ा हुआ हैं। AB=CD=80 मी0 तथा BC=DA=20 मी0 हैं। वर्तमान मौके पर खसरा नं0 4412 का खातेदार ख0नं0 4289 से लगभग 17.5 मीटर तक जुड़ा हुआ हैं, की रिपोर्ट पेश की, सा0मि0 हैं।

बहस अधिवक्ता प्रार्थी एवं तहसीलदार सोजत सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए सरहद मौजा ग्राम सोजत चक संख्या एक के वर्तमान खसरा संख्या 4412/6321 रकबा 0.1600 हैक्टर राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में दर्ज रकबा अनुसार एवं मौका स्थिति का मिलान कर वर्तमान मोमीट्रेस नक्शें में उक्त खसरा संख्या का सही इन्द्राज किये जाने हेतु अप्रार्थी को आदेशित किया जाने की ईशतदुआ की हैं। जबाब बहस में अप्रार्थी तहसीलदार सोजत ने विधि सम्मत निर्णय पारित किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत प्रा0 पत्र मय शपथ पत्र, जबाब प्रार्थना पत्र, तहसीलदार सोजत की रिपोर्ट व फहरिस्त मय दस्तावेज का अध्ययन कर बहस उभय पक्षकारान पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः वादग्रस्त कृषि भूमि से संबंधी बेचान दस्तावेज दिनांक 02.04.2009 में उक्त कृषि भूमि का माप 132 बाई 132 फीट वर्गाकार में स्थित होना अंकित हैं। तहसीलदार सोजत मय पटवारी हल्का रिपोर्ट अनुसार वर्तमान मौके पर ख0नं0 4412/6321 रकबा 0.1600 का प्रत्येक भूजा का माप AB=BC=CD=DA=40 मी0 हैं। तथा ख0नं0 4412 के संयुक्त खातेदार ख0नं0 4289 से लगभग 17.5 मीटर तक जुड़ा हुआ हैं तथा नक्शा लट्ठा ट्रेस अनुसार उक्त खसरा नं0 4412/6321 आयताकार है, जिसकी भुजाएं AB=CD=80 मी0 तथा BC=DA=20 मी0 हैं। जिसमें भी ख0नं0 4412 का कुछ भाग  जबकि सेग्रीगेशन में ख0नं0 4289 से जुड़ा हुआ हैं। जबकि सेग्रीगेशन के दौरान ख0नं0 4412/6321 का रकबा सेग्रीगेशन शीट में राजस्व रेकर्ड (0.1600 है) से अधिक लगभग 0.3600 है0 हैं। अर्थात् राजस्व रेकर्ड में अंकित रकबा

उपखण्ड अधिकारी
सोजत (राज.)

...या सेग्रीगेशन शीट से रकबा के अंकन का मिलान नहीं हो रहा हैं। इससे स्पष्ट होता है कि ख0नं0 4412/6321 की वर्तमान राजस्व ट्रेस नक्शा में तरमीम मौका कब्जा तथा लट्ठा ट्रैस नक्शा अनुसार नहीं हैं। लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर सरहद मौजा सोजत चक प्रथम तह0 सोजत के ख0नं0 4412/6321 रकबा 0.1600 है0 की तरमीम वर्तमान राजस्व नक्शा में तहसीलदार सोजत मय पटवारी हल्का रिपोर्ट में नजरी नक्शा में दर्शित ABCD मौका पर काबिज काश्त अनुसार दुरूस्त किया जाना न्यायोचित समझते है।

**–: आदेशः–**

अतः अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। सरहद मौजा सोजत चक प्रथम तह0 सोजत के ख0नं0 4412/6321 रकबा 0.1600 है0 की तरमीम वर्तमान राजस्व नक्शा में तहसीलदार सोजत मय पटवारी हल्का रिपोर्ट में नजरी नक्शा में दर्शित ABCD मौका पर काबिज काश्त अनुसार तरमीम दुरूस्त कर शुद्धि किये जाने हेतु तहसीलदार, सोजत को आदेशित किया जाता है। मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा को निर्णय का एक भाग माना जाये। तहसीलदार, सोजत को निर्णय की प्रति एवं मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा की प्रति भेजकर पालना तहरीर भेजकर मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील/तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(मासिंगा राम)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

यह निर्णय आज दिनांक 16/10/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मासिंगा राम)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत